

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

मि० न० - 12/2025

1. इन्द्रादेवी पुत्री प्यारेलाल पत्नी शिवकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी भादरा हाल निवासी राम मंदिर के पास रानी बाजार बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर। :-वादी

बनाम

1. लक्ष्मीनिवास पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी भादरा हाल निवासी मोन्टेशरी स्कूल के वार्ड सं० 30 चुरू तहसील व जिला चुरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा चक 12 बीएचडी के खाता सं० 5/6 के मु० न० 12 के किला न० 6, 15, 16 प्रत्येक की 0.253है० नहरी, मु० न० 13 के किला न० 11 ता 20, 22 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 14 के किला न० 21, 22 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 15 के किला न० 1, 2, 9, 10 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 16 के किला न० 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, किला न० 5/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 6/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 6/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 7, 8, 9, 12, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी कुल रकबा 8.6020है० जिसमें नहरी 8.5520है०, गै० मु० खाला 0.050है० कृषि भूमि में वादी इन्द्रादेवी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 लक्ष्मीनिवास हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु प्रतिवादीन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डीक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

वादी सं० 1 इन्द्रादेवी पुत्री प्यारेलाल जाति ब्राह्मण साकिन भादरा खातेदार:-

रोही मौजा चक 12 बीएचडी के खाता सं० 5/6 के मु० न० 12 के किला न० 6, 15, 16 प्रत्येक की 0.253है० नहरी, मु० न० 13 के किला न० 11 ता 20, 22 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, कुल रकबा 4.301है० नहरी।

प्रतिवादी सं० 1 लक्ष्मीनिवास पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण साकिन भादरा खातेदार:-

रोही मौजा चक 12 बीएचडी के खाता सं० 5/6 के मु० न० 14 के किला न० 21, 22 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 15 के किला न० 1, 2, 9, 10 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 16 के किला न० 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, किला न० 5/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 6/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 6/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 7, 8, 9, 12, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी कुल रकबा 4.301है० जिसमें नहरी 4.251है० गै० मु० खाला 0.050है०।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। पूर्व में दर्ज गै० मु० खाला रास्ता व भूमि की किस्म यथावत् रखी जावे। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.11.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की



(कल्पित शिवरान)
ज्येष्ठ अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S

भादरा जिला हनुमानगढ़

12/2025

क्र.नं० -

:-वादी

अन्वान :- इन्द्रादेवी पुत्री प्यारेलाल पत्नी शिवकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी भादरा हाल
1. निवासी राम मंदिर के पास रानी बाजार बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

बनाम

निवासी भादरा हाल निवासी मोन्देशरी

1. लक्ष्मीनिवास पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी भादरा हाल जिला चुरू।
स्कूल के बार्ड सं० 30 चुरू तहसील व जिला चुरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53,
राजस्थान कारस्तकारी अधिनियम

राजस्थान गोस्वामी वादी

उपस्थिति :- श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी
श्री सुरेन्द्र मील प्रतिवादी

दिनांक: 21/11/25

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 12 बीएचडी के खाता सं० 5/6 के मु० न० 12 के किला न० 6, 15, 16 प्रत्येक की 0.253है० नहरी, मु० न० 13 के किला न० 11 ता 20, 22 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 14 के किला न० 1, 2, 9, 10 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 15 के किला न० 1, 2, 9, 10 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 16 के किला न० 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, किला न० 0.253है० नहरी, मु० न० 16 के किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 7, 8, 9, 12, 13, 14 5/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 6/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 7, 8, 9, 12, 13, 14 228है० नहरी, किला न० 6/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 7, 8, 9, 12, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी कुल रकबा 8.6020है० जिसमें नहरी 8.5520है०, गै० मु० खाला 0.050है० कृषि भूमि में वादी इन्द्रादेवी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 लक्ष्मीनिवास का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

वाद भूमि का काफ़ी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सींव डोल बने हुये है। राजस्व रिकार्ड में कुल भूमि मुरतर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर मुताबिक अनुतोष डिक्री के लिए निवेदन किया। व वकील वादी व वकील प्रतिवादी ने मुताबिक अनुतोष अंतिम डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक अनुतोष विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण रोही मौजा चक 12 बीएचडी के खाता सं० 5/8 के मु० न० 12 के किला न० 6, 15, 16 प्रत्येक की 0.253है० नहरी, मु० न० 13 के किला न० 11 ता 20, 22 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 14 के किला न० 21, 22 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 15 के किला न० 1, 2, 9, 10 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 16 के किला न० 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, किला न० 5/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 6/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 6/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 7, 8, 9, 12, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी कुल रकबा 8.6020है० जिसमें नहरी 8.5520है०, गै० मु० खाला 0.050है० कृषि भूमि में वादी इन्द्रादेवी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 लक्ष्मीनिवास का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

इन्द्रादेवी पुत्री प्यारेलाल जाति ब्राह्मण साकिन भादरा खातेदार:-

रोही मौजा चक 12 बीएचडी के खाता सं० 5/6 के मु० न० 12 के किला न० 6, 15, 16 प्रत्येक की 0.253है० नहरी, मु० न० 13 के किला न० 11 ता 20, 22 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, कुल रकबा 4.301है० नहरी।


लक्ष्मीनिवास पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण साकिन भादरा खातेदार:-

रोही मौजा चक 12 बीएचडी के खाता सं० 5/6 के मु० न० 14 के किला न० 21, 22 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 15 के किला न० 1, 2, 9, 10 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 16 के किला न० 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, किला न० 5/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 6/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 6/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 7, 8, 9, 12, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी कुल रकबा 4.301है० जिसमें नहरी 4.251है० गै० मु० खाला 0.050है०

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। पूर्व में दर्ज गै०मु० खाला रास्ता व किस्म भूमि को यथावत् रखते हुए यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/11/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित) 
 उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.
 भादरा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 भादरा जिला हनुमानगढ़